

थाना कविनगर का 03 साल पुराना वांछित अभियुक्त (फर्जी डाक्टर) गिरफ्तार :- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन 420 अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2067/18 धारा 15(2)/15(3) इ0 मेडीकल काउ0 एक्ट व 420 भादवि मे वांछित अभियुक्त (फर्जी डाक्टर) आदेश कुमार पुत्र दाताराम निवासी बसन्तकुंज एच वी फार्म के पास सै0 23 संजयनगर मूल पता ग्राम पुड्डी थाना किला परीक्षितगढ मेरठ को दिनांक 30.09.20 को श्री बाला जी क्लीनिक एम ब्लॉक टैम्पू स्टेण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त एक झोलाछाप फर्जी डाक्टर है जो फर्जी चिकित्सा व्यवसाय मे संलिप्त होकर आम जनता की जान से खिलवाड कर रहा था तथा 03 साल से थाना कविनगर से वांछित चल रहा था । अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आदेश कुमार पुत्र दाताराम निवासी बसन्तकुंज एच वी फार्म के पास सै0 23 संजयनगर मूल पता ग्राम पुड्डी थाना किला परीक्षितगढ मेरठ

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 2067/18 धारा 15(2)/15(3) इ0 मेडीकल काउ0 एक्ट व 420 भादवि



दिनांक 30.09.2020 थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 02 वांछित अभि0 गिरफ्तार ।:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 30.09.2020 को समय 11:45 बजे थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा ब्रज बिहार पुलिय चौकी क्षेत्र बृज बिहार के पास से मुखविर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राजेश पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम सिन्धिया थाना सिन्धिया जिला समस्तीपुर बिहार , हाल निवासी डाक्टर का किराये का मकान ग्राम कड़कड़ माडल थाना लिंक रोड गा0बाद
2. रमेश पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम सिन्धिया थाना सिन्धिया जिला समस्तीपुर बिहार , हाल निवासी डाक्टर का किराये का मकान ग्राम कड़कड़ माडल थाना लिंक रोड गा0बाद

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0325/2020 धारा 323/325 भादवि थाना लिंक रोड गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद कार्यवाही:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक वाँछित अभि० को सलाम होटल के सामने से दि० 29.06.2020 समय 23.50 बजे मु०अ०सं० 611/2020 धारा 307/504/506 भादवि की घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा .315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा .315 बोर एवं एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब दिनांक 28.07.2020 को मैंने एक शहजाद नाम के व्यक्ति के गोली मार दी थी तथा उपरकोट में फायरिंग भी की थी । तभी से मैं यह तमन्चा लेकर फरार था । आज मैं यह तमन्चा व कारतूस लेकर कहीं छिपाने के लिए जा रहा था कि तभी आपने पकड लिया तथा तलाशी लेने पर एक तमन्चा .315 बोर व एक कारतूस जिन्दा .315 बोर एवं एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । अभियुक्त का जुर्म धारा 3/25 आयुध अधि० की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब दिनांक 28.07.2020 को मैंने एक शहजाद नाम के व्यक्ति के गोली मार दी थी तथा उपरकोट में फायरिंग भी की थी । तभी से मैं यह तमन्चा लेकर फरार था। आज मैं यह तमन्चा व कारतूस लेकर कहीं छिपाने के लिए जा रहा था कि तभी आपने पकड लिया तथा तलाशी लेने पर एक तमन्चा .315 बोर व एक कारतूस जिन्दा .315 बोर एवं एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । अभियुक्त का जुर्म धारा 3/25 आयुध अधि० की हद को पहुंचता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभि०-

शोएव पुत्र खालिद निवासी उपरकोट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष ।

अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु०अ०सं०-611/2020 धारा 307/504/506 भादवि थाना लोनी गा०बाद
- 2- मु०अ०सं० 812/2020 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना लोनी गा०बाद

बरामदगी का विवरण:-

मु०अ०सं० 611/2020 धारा 307/504/506 भादवि की घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा .315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा .315 बोर एवं एक अदद कारतूस .315 बोर



थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त वांछित संबंधित मु0अ0स0 1098/20 धारा

354/354क/323/504 भादवि -- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय/क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय साहिबाबाद तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद के निर्देशन में दिनांक 29.09.2020 को समय 1.40 बजे मुखबिर की सूचना पर मोहन नगर तिराहा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर अभियुक्त सौदान पुत्र भयामलाल नि0 ग्राम बसोया थाना उझानी जिला बदायूं उम्र 50 वर्ष संबंधित मु0अ0स0 1098/20 धारा 354/354क/323/504 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सौदान पुत्र भयामलाल नि0 ग्राम बसोया थाना उझानी

जिला बदायूं उम्र 50 वर्ष



थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 2 नफर अभि0 मय 800 ग्राम नाजायज गांजा के गिरफ्तार:-

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.09.2020 को समय 9.15 बजे दिन शुक्र बाजार रोड एंजल मेगा मॉल की तरफ रोड से चैकिंग के दौरान दो नफर अभियुक्त 1. वाजिद S/O भूरे खान हाल पता झुग्गी झोपडी भोवापुर निकट देशी शराब ठेका कौशाम्बी GZB मूल पता कस्बा ककराला थाना आलापुर तहसील दातागंज जनपद बदायूं उम्र 28 वर्ष 2. जुगनू उर्फ अरबाज खान S/O शमसाद खा R/O झुग्गी झोपडी भोवापुर निकट देशी शराब ठेका कौशाम्बी, GZB मूल पता ककराला थाना आलापुर तहसील दातागंज जनपद बदायूं उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिन्हे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभि0गण द्वारा NCR क्षेत्र में नाजायज गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वाजिद S/O भूरे खान हाल पता झुग्गी झोपडी भोवापुर निकट देशी शराब ठेका कौशाम्बी GZB मूल पता कस्बा ककराला थाना आलापुर तहसील दातागंज जनपद बदायूं उम्र 28 वर्ष
2. जुगनू उर्फ अरबाज खान S/O शमसाद खा R/O झुग्गी झोपडी भोवापुर निकट देशी शराब ठेका कौशाम्बी, GZB मूल पता ककराला थाना आलापुर तहसील दातागंज जनपद बदायूं उम्र 22 वर्ष

बरामदगी -

अभियुक्त गणो के कब्जे से 800 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना ।

आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 508/2020 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम वाजिद उपरोक्त थाना कौशाम्बी गा0बाद
2. मु0अ0सं0 509/2020 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम जुगनू उर्फ अरबाज खान उपरोक्त थाना कौशाम्बी गा0बाद

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को किया गया गिरफ्तार-: थाना विजय नगर पुलिस के द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 03/02/2020 को थाना विजय नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 202/2020 धारा 323/452/354/506/427 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट की घटना में वांछित अभियुक्त अभि कुमार उर्फ आर्यन को आज दिनांक 30/09/2020 को थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- अभि कुमार उर्फ आर्यन पुत्र स्व0 प्रदीप कुमार नि0 9/14 सैक्टर 12, काशीराम आवास योजना थाना विजयनगर गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1- मु.अ.स. 202/2020 धारा 323/452/354/506/427 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस के द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 27/08/2020 को थाना विजय नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 1139/2020 धारा 498ए/323/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम की घटना में वांछित अभियुक्तगण शकील, श्रीमती छोटी खातून, श्रीमती नाजरीन उर्फ भूरिया को आज दिनांक 30/09/2020 को थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- शकील पुत्र अकबर खां उम्र 30 वर्ष नि० शनि बाजार बुद्धबिहार बहरामपुर थाना विजयनगर गा०बाद
- 2-श्रीमती छोटी खातून पत्नी शकील उम्र 27 वर्ष निवासी शनि बाजार बुद्धबिहार बहरामपुर थाना विजयनगर गा०बाद
- 3- श्रीमती नाजरीन उर्फ भूरिया पत्नी हसीब उम्र 31 वर्ष नि० भुजपुरा गली नं० 1 नूरानी मस्जिद के पास थाना को० शहर अलीगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण*

- 1- मु.अ.स. 1139/2020 धारा 498ए/323/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम

